न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद।

जमाबंदी रद्द वाद सं0–01/2014–15(अं0अ0,औरंगाबाद)

DLR-54/14–15

सरकार (अंचल अधिकारी, औरंगाबाद)

बनाम

बालकेश्वर सिंह 2. रामकेश्वर सिंह 3. जनेश्वर सिंह 4. महेन्द्र सिंह, पिता रामरतन सिंह, ग्राम–सहेया, थाना व अंचल–औरंगाबाद।

आदेश

20/x/17

यह जमाबंदी रद्द वाद अंचल अधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक–1378, दिनांक–30.09.2014 से विपक्षीगण के नाम खाता सं0–129, 43, प्लॉट नं0–37, 40 के कुल रकवा–1.87½ एकड़ भूमि के कायम जमाबंदी को रद्द करने हेतु प्राप्त हुआ है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि के भूतपूर्व जमींदार महावीर प्रसाद सिंह थे जिनका प्रश्नतगत भूमि बकास्त भूमि था। जिसपर उनका खेती होता था और बाद में भूतपूर्व जमींदार महाबीर प्रसाद सिंह ने अपने दो लड़के नौरंगदेव प्रसाद सिंह एवं रावणेश्वर प्रसाद सिंह को छोड़कर स्वर्गवास कर गये और दोनो मौजा–खैराबिन्द के जमींदर हो गये। ततपश्चात् दोनो जमीन्दार नौरंगदेव प्रसाद सिंह एवं रावणेश्वर प्रसाद सिंह आपस में प्रश्नतगत भूमि का बटवांरा कर लिये और बटवारा के अनुसार प्रश्नतगत भूमि भूतपूर्व जमीन्दार रावणेश्वर प्रसाद सिंह को हिस्सा में मिला जिसे उनके द्वारा विपक्षीगण के दादा बुधु गोप को अषाढ़ फसली यानी 1943 ई0 900/– नजराना लेकर नकदी मालगुजारी पर बन्दोवस्त कर दिये और दखल कब्जा में आए और उन्हें रैयत मानते हुए बन्दोवस्तीधारी बुधु गोप को नगदी मालगुजारी लेकर जमीन्दारी रसीद भी निर्गत कर दिये और यादस्त के लिए सादा बन्दोवस्ती पर परवाना भी बुधु गोप को दे दिए और कुछ समय के बाद भूतपूर्व जमीन्दार रावणेश्वर प्रसाद सिंह ने पुनः दिनांक–13.11.1950 को एक निबंधित बन्दोवस्ती वसीका उक्त बन्दोवस्तधारी को बुधु गोप के पक्ष में जरसमन लेकर निस्पादित कर दिये। जमीन्दारी उन्मूलन के समय प्रश्नगत भूमि का जमीन्दर कुमारी अनोखी देवी थी जो क्षतिपूर्ति वाद सं0–31870/48917–1954–55 द्वारा बन्दोवस्तधारी बुधु गोप उर्फ बुधु महतो के नाम से बिहार सरकार के सिरिस्ता में रिर्टन भी दाखिल की गयी। जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् बुधु गोप को प्रश नगत भूमि के रैयत मानते हुए वर्ष 1956–57 से जमाबंदी कायम कर लगातार सरकारी रसीद बुधु गोप या उनके वंश ाजों के नाम पर वर्ष 1917–18 तक निर्गत की गयी है। रिभिजन सर्वे में भी प्रश नगत भूमि पर बुधु गोप का दखल कब्जा पाते हुए पर्चा निर्गत किया गया है। बन्दोवस्तधारी बुधु गोप वर्ष 1980 में अपने चार पोता विपक्षी गण यथा बालेश्वर सिंह, रामकेश वर सिंह, जनेश वर सिंह एवं महेन्द्र सिंह को उतराधिकारी के रूप में छोड़कर स्वर्गवास कर गए थे और बुधु गोप के एक मात्र लड़का रामरतन सिंह थे जो अपने पिता के जीवनकाल में ही स्वर्गवास कर गये। वर्तमान में प्रश नगत भूमि की जमाबंदी

विपक्षीगण के नाम चल रहा है जो आजतक मालगुजारी रसीद भी वर्ष 2017–18 तक निर्गत की जा चुकी है। उनका यह भी कहना है कि प्रश नगत भूमि का चौहदी निम्न प्रकार है –

उ0–पुरानी जी0टी0 रोड़

द0–कृष्ण मोहन सिंह

पू0–कृष्ण मोहन सिंह

प0– चन्द्रदेव सिंह वगै0

प्रश नगत भूमि भी बिहार सरकार में नही रहा है। प्रश नगत भूमि में विपक्षीगण के दादा बुधु गोप द्वारा अपने जीवनकाल में 55 वर्ष पूर्व अंचल अधिकारी, औरंगाबाद के सहयोग एवं राशि से कुआँ का निर्माण कराया गया जिससे आज भी पटवन कार्य होता है।

इस प्रकार अंचल अधिकारी, औरंगाबाद बगैर कागजी सबूत एवं दखल कब्जे देखे प्रश नगत भूमि के विपक्षीगण के नाम कायम जमाबन्दी को रद्द करने का अनुशंसा के साथ प्रस्ताव भेज दिया जो न्याय संगत एवं विधि सम्मत नहीं है। इसलिए अंचल अधिकारी, औरंगाबाद द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को खारिज किया जाना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि इस संबंध में समाहर्त्ता, औरंगाबाद के पत्रांक–551, दिनांक–11.11.2007 से सभी अंचल अधिकारी जिला औरंगाबाद को यह निदेश दिया गया है कि जिस प्रश्नगत भूमि पर भू–धारी का विगत 50–60 वर्षो के जमाबंदी चल रही है उसे रद्द करने की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए और न भू–धारी से रिर्टन एवं अन्य कागजातों की मांग न की जाय फिर भी अंचल अधिकारी, औरंगाबाद द्वारा समाहर्त्ता औरंगाबाद के दिये गए निदेश ा का अनदेखी कर विपक्षीगण के नाम प्रश नगत भूमि के कायम जमाबन्दी को रद्द करने की अनुश ंसा की है जो सरासर गलत है इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

विपक्षी के बिहार अधिवक्ता का यह भी कहना है कि प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–925, दिनांक–11.11.2014 से निर्गत पत्र में यह स्पष्ट दश र्ाया गया है कि यदि भूतपूर्व मध्यवर्ती द्वारा सादा हुकुमनामा तथा रिटर्न में रैयत का नाम दिया गया है, हुकुमनामा 01.01.46 के पूर्व का है और सरकारी लगान रसीद जमीन्दारी उन्मूलन के वर्ष से कट रही है तो यह भूमि रैयत उनके उत्तराधिकारी को रैयती मानी जायेगी।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश ा का हवाला दिया गया है जो निम्न प्रकार है –

1. 1970 पी0एल0जे0आर0 पेज नं0–7
2. 1970 पी0एल0जे0आर0 पेज नं0–12
3. 2014 (4) बी0बी0सी0जे0 पेज नं0–46 के द्वारा यह बताया गया कि प्रश नगत भूमि अगर गैरमजरू आ आम है उप पर भू–धारी 12 वर्षो से अधिक अवधि से दखल कब्जा में है तो उन्हें रैयती अधिकार माना जायेगा।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत भूमि को दावे के संबंध में निम्नलिखित कागजी सबूत दाखिल की गयी है –

1. पहली आषाढ़ 1350(1943ई0) फसली का सादा हुकुमनामा जो भूतपूर्व जमीन्दार रावणेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा विपक्षीगण के दादा बुधु गोप के पक्ष में निष्पादित किया गया है।
2. प्रश्नगत भूमि ही दिनांक–13.11.1950 निबंधित हुकुमनामा बन्दोवस्ती जो भूतपूर्व जमीन्दार रावणेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा विपक्षीगण के दादा बुधु गोप के नाम निष्पादित किया गया है।
3. प्रश्नगत जमीन का जमीन्दारी रसीद।
4. सरकारी मालगुजारी रसीद बुधु यादव के नाम से।
5. सरकारी मालगुजारी रसीद विपक्षीगण के नाम से।
6. ज्ञापांक–551, दिनांक–11.04.2007 का जिला समाहर्त्ता औरंगाबाद का पत्र।
7. संकल्प 925 दिनांक–11.11.2014 का मुख्य सचिव बिहार सरकार का पत्र।
8. रिभिजनल सर्वे परचा प्रश्नगत भूमि का।
9. 1970 पी0एल0जे0आर0, पेज नं0–7
10. 2014 (4) बी0बी0सी0जे0 पेज नं0–152
11. 2014(3) बी0बी0सी0जे0, पेज नं0–461

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना और उनके द्वारा दाखिल कागजी सबूतो की छाया प्रति का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि विपक्षीगण के दादा बुधु गोप को भूतपूर्व जमीन्दार रावणेश्वर प्रसाद सिंह के मिली अपने हिस्से के प्रश्नगत भूमि को आषाढ़ 1350 फसली यानी 1943ई0 में 900/– नजराना लेकर नकदी मालगुजारी पर बन्दोवस्त कर दिए और उन्हें दखल कब्जा हस्तांतरित कर दिया और पुनः भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा 13.11.50 को एक निबंधित बन्दोवस्ती वसीका से उक्त बन्दोवस्तधारी बुधु गोप के पक्ष में जरसमन लेकर निष्पादित कर दियें। जमीन्दारी उन्मूलन के समय प्रश्नगत भूमि जमीन्दार कुमारी अनोखी देवी थी जिन्होने क्षतिपूर्ति वाद सं0–31870/48917–1954–55 द्वारा बन्दोवस्तधारी बुधु गोप उर्फ बुधु महतो के नाम रिटर्न भी दाखिल किया जिसके आधार पर जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् प्रश्नगत भूमि के रैयत मानते हुए विपक्षीगण के दादा बुधु गोप के नाम वर्ष 1956–57 में जमीन्दारी कायम करते हुए लगातार वर्ष 2017–18 तक अंचल सिरिस्ता से सरकारी रसीद निर्गत की गयी जिसपर वे 50–60 वर्षो से अधिक अवधि से बुधु गोप व उनके पिता जो विपक्षीगण है के नाम से अद्यतन सरकारी रसीद निर्गत की जा रही है तथा उनका प्रश्नगत भूमि पर दखल–कब्जा पाते हुए रिभिजन सर्वे में भी उनके नाम पर्चा निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, औरंगाबाद द्वारा विपक्षीगण के प्रश्नतगत भूमि के संबंध में कागजी सबूत एवं दखल कब्जा बगैर देखे विपक्षीगण के नाम कायम जमाबन्दी को रद्द करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है जो न्यायसंगत नहीं है जिसे निरस्त करने का दावा किया जा रहा है।

अंचल अधिकारी, औरंगाबद द्वारा विपक्षीगण के प्रश्नतगत भूमि के दावे के संबंध में कागजी सबूत एवं दखल कब्जा के जांचोपरान्त प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए था लेकिन अंचल अधिकारी द्वारा उपरोक्त उल्लेखित बिन्दुओं पर बगैर जांच किये विपक्षीगण के नाम प्रश्नगत भूमि के कायम जमाबन्दी को रद्द करने का प्रस्ताव भेजा गया है। जिसके संबंध में विपक्षीगण के दावे के कागजी सबूत एवं दखल कब्जा तथा अन्य कागजातों की जांच करने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

अतः अंचल अधिकारी, औरंगाबाद को इस निदेश के साथ रिमांड किया जाता है कि प्रश्नतगत भूमि के विपक्षीगण द्वारा दाखिल कागजी सबूत एवं उनके दखल कब्जा के बिन्दुओं पर जांचोपरान्त निर्णय लेने हेतु अभिलेख वापस (रिमांड) किया जाता है। साथ ही इन बिन्दुओं की समीक्षा करते हुए अंचल अधिकारी एक माह के अन्दर सुस्पष्ट प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करेंगे।

इस प्रकार वाद का निष्पादन किया जाता है।

इस आशय की सूचना अंचल अधिकारी, औरंगाबाद को दें।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
औरंगाबाद।

अपर समाहर्त्ता,
औरंगाबाद।